

## पंजीयन प्रमाण-पत्र

### संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016  
E-Mail: mptownplan@mp.gov.in/Phone : 07552427091, Fax - 0755 2427097

विकासकर्ता (डेवलपर) के रूप में पंजीयन हेतु मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के नियम 4 (6) के अधीन

पंजीयन क्रमांक I/506336/2026

दिनांक 13-04-2026

मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ओमैक्स इंदौर डेवलपर लिमिटेड निवासी एफएफ-58, ऑर्बिट मॉल, ए. बी रोड जिला इंदौर राज्य मध्यप्रदेश को निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन विकासकर्ता (डेवलपर) के रूप में पंजीकृत किया जाता है, अर्थात:-

- 1 यह पंजीयन, जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए, मध्य प्रदेश राज्य में विधिमान्य होगा।
- 2 टाउनशिप के विकास की अनुमति, प्रत्येक टाउनशिप के लिए पृथक रूप से साधिकार समिति से प्राप्त करनी होगी।
- 3 मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के अधीन प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती है, तो पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त किया जावेगा।
- 4 पंजीयन सम्पूर्ण राज्य के लिए विधि मान्य होगा।

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
मध्य प्रदेश